

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 539/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
आवास फाईनेशियर्स लि. (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजीकृत कार्यालय 201-202 पत्तोर  
साउथ एण्ड रक्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री गोविन्द सिंह शेखावत पुत्र श्री गजराज सिंह शेखावत  
निवासी :- प्लॉट नम्बर 11, वार्ड नम्बर 2 पण्डितपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।  
एवं पट्टा नम्बर 26, बुक नम्बर 30, पण्डितपुरा, पावटा, कोटपूतली, जयपुर।
2. श्रीमती सुमन कंवर पत्नी श्री गोविन्द सिंह  
निवासी :- प्लॉट नम्बर 11, वार्ड नम्बर 2 पण्डितपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
3. श्री सुभाष चन्द यादव पुत्र श्री सुरजमल यादव  
निवासी :- पीपली, पण्डितपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित:- श्री नरपत सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 19.06.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री गोविन्द सिंह के स्वामित्व की संपत्ति पट्टा नम्बर 26, बुक नम्बर 30, पण्डितपुरा, पावटा, कोटपूतली जिला जयपुर क्षेत्रफल 144.55 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 10.05.2016 को 5,00,000/-रुपये एवं दिनांक 21.06.2018 को 02,25,000/-रुपये कुल राशि 07,25,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.12.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



3. नगरपालीका को उपलब्धता से स्पष्ट है कि प्रथम वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 07,25,000/- रुपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिपूर्ति समानता के रूप में अप्रार्थीगण ने समस्त सम्पत्ति प्रथम वित्तीय संस्था से पक्ष अन्वेषण रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण उठाए गए में ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण अनुसूची के तहत बकाया ऋण राशि सह बाकाय कुल 14,20,702.80/- रुपये उभार बनाने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 22.12.2021 को अधिनियम को धारा 13(2) के अधिनो नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रथम वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का सुरक्षा भी नहीं किया गया है। प्रकरण में अनुसूची अन्वेषण बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने पर 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का बकाया प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम को धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में अन्वेषण रखी गई सम्पत्ति का मौलिक बकाया दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 को धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यायालय प्रथम वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री नवीन्द्र सिंह के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 25, बूक नम्बर 30, पम्पिडतपुरा, मकद, काठमाडौं जिला जयपुर डी.एम.एल. 144.35 वर्गमीटर का मौलिक रूप से बकाया प्रथम वित्तीय संस्था द्वारा घोषित सम्पत्ति मुलित्त अना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश को प्रति संबंधित मुलित्त उपयुक्त जयपुर नगर/मुलित्त अधीक्षक जयपुर नगरों को भेज कर लिखा जाये को उक्त सम्पत्ति का बकाया प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाते हेतु संबंधित थानाधिकारियों को निर्दिष्ट कर एवं मल्ला सिमेंट लिमिटेड को सूचित करके आदेश को प्रति हस्त कायदा जारी है। पत्रावली नम्बर से कन डेक्टर को उक्त सूचित है।



आदेश आज दिनांक 19.06.2023 को सत्रे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुत्रीहित)  
जिता नजिदर  
कितक्टर) जयपुर